इस वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 जून 2011—ज्येष्ठ 12, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. बी-4-04-2010-2-पांच (19).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या रजिस्ट्रीकृत किसी गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित निजी भूमि के पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार में संपरिवर्तन किए जाने से संबंधित हस्तांतरण की लिखत पर रजिस्ट्रीकरण फीस संपरिवर्तन के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम पर ही जो लिखत में यथा उपवर्णित है, प्रभार्य होगी, किन्तु किसी भी दशा में प्रभार्य फीस की रकम, एक सौ रुपए से कम नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. बी-4-04-2010-2-पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का आदेश क्र. बी-4-04-2010-2-पांच (19), दिनांक 2 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 2nd June 2011

No. F.B-4-04-2010-2-V(19).--In exercise of the powers conferred by Section 80 B of the Registration Act, 190 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, directs that the registration fees on the instrument of conveyance relating to conversion of lease-hold rights into free-hold rights of private land executed by or on behalf of the Madhya Pradesh Housing Board or a Development Authority or a Housing Co-operative Society established or registered under any law for the time being in force shall be chargeable in relation to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in no case the amount of fees chargeable shall be less than one hundred rupees.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. बी-4-04-2010-2-पांच (20).--भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल या किसी विकास प्राधिकरण अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या रजिस्ट्रीकृत किसी गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित निजी भूमि के पट्टाधृति अधिकार को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में संपरिवर्तन किए जाने से संबंधित हस्तांतरण की लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 22 के अधीन स्टाम्प शुल्क संपरिवर्तन के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम पर ही जो लिखत में उपवर्णित हो, प्रभार्य होगा, किन्तु किसी भी दशा में प्रभार्य फीस की रकम, एक सौ रुपए से कम नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. बी-4-04-2010-2-पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का आदेश क्रमांक बी-4-04-2010-2-पांच (20), दिनांक 2 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 2nd June 2011

No. F.B-4-04-2010-2-V(20).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty under article 22 of Schedule 1-A of the said Act on the instrument of conveyance relating to conversion of lease-hold rights into free-hold rights of private land executed by or on behalf of the Madhya Pradesh Housing Board or a Development Authority or a Housing Co-operative Society established or registered under any law for the time being in force shall be chargeable in relation to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in no case the amount of duty chargeable shall be less than one hundred rupees.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.